कार्यालय
सचिव, ताज महोत्सव समिति
64, ताज रोड, आगरा।

फन–फेयर हेतु एकाधिकार का प्रस्ताव/निविदा

1.	कार्य का नाम	:	मनोरंजन हेतु झूले लगाया जाना।
2.	महोत्सव का स्थान	:	शिल्पग्राम आगरा।
3.	महोत्सव अवधि	:	18.03.2017 से 27.03.2017 तक
4.	टैण्डर क्रय करने की तिथि	:	फरवरी से 12 फरवरी, 2017 सांय 5.00 बजे तक
5.	टैण्डर जमा करने की तिथि एवं स्थान	:	13 फरवरी, 2017 अपरान्ह 2.00 बजे तक, कार्यालय, सचिव ताज महोत्सव समिति 64, ताज रोड, आगरा।
6.	टैण्डर खुलने की तिथि एवं स्थान	:	13 फरवरी, 2017 अपरान्ह 3.30 बजे कार्यालय, सचिव ताज महोत्सव समिति 64, ताज रोड, आगरा।
7.	झूले स्थापित करने की तिथि	:	17.03.2017
8.	निविदा की राशि	:	रू0 5000/– (रू0 पॉच हजार मात्र)
9.	धरोहर राशि	:	रू0 200000/– (रू0 दो लाख मात्र)
10.	आवेदक का नाम	:	....
11.	फर्म का नाम	:	....
12.	पता (प्रमाण सहित)	:	....
13.	दूरभाष तथा फैक्स नम्बर	:	....
14.	पैन संख्या	:	....

क्र0सं0 नियम व शर्ते

1. प्रस्तावक/टैण्डर धारक की फर्म रजिस्टर्ड एवं आई.एस.ओ. (I.S.O.) प्रमाणित होनी चाहिये एवं उन्हें मेले (सरकारी) त्यौहारों में झूले लगाने का पूर्ण अनुभव होना चाहिये, जिसका प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।
2. झूलों की अधिकतम संख्या 10 (दस) होगी। जिनके नाम प्रस्तावक/निविदादाता को अपने निविदा में उल्लेख करने होंगे।

क्रमशः 2

3. मेले में लगने वाले झूलों का सुरक्षा प्रमाण–पत्र दिनांक 15–03–2017 तक सक्षम अधिकारी से प्राप्त कर मेला परिसर में झूला प्रारम्भ होने से पूर्व समिति कार्यालय में जमा करवाना अनिवार्य होगा।
4. झूले मजबूत नये तथा सुरक्षित होंगे तथा सुरक्षा मानदण्डों के अनुरूप होंगे। कन्डीशनल प्रस्ताव मान्य नही होगा। धरोहर की धनराशि ''सचिव, ताज महोत्सव समिति, आगरा'' के नाम से बैंक ड्राफ्ट के रूप में स्वीकार किया जायेगा तथा इस हेतु चेक आदि स्वीकार नही किये जायेंगे।
5. झूलों के लिए स्थान शिल्पग्राम के सामने रिक्त भूमि पर निर्धारित है। निविदा का आवंटन अहस्तान्तरणीय है।
6. झूलों हेतु आवंटित स्थान का प्रयोग अन्य किसी कार्य हेतु नहीं किया जायेगा तथा झूला स्थल पर कोई भी गैर कानूनी कार्यकलाप पूर्णतः प्रतिबन्धित होगा।
7. प्रस्तावक को अपने झूलों के बीमा प्रमाण–पत्र की छायाप्रति संलग्न करनी होगी तथा मूल अभिलेख निविदा खुलने वाले दिनांक को समिति को दिखाना होगा।
8. झूला स्वामी/संचालक को उ0प्र0 आमोद एवं पणकर अधिनियम 1979 की धारा–55 के अन्तर्गत व सपठित ''उ0प्र0 आमोद एवं पणकर नियमावली–1981'' के नियम–11 के अनुसार जिला मजिस्ट्रेट से पूर्व अनुमति प्राप्त करनी होगी तथा प्राप्त अनुमति समिति कार्यालय को उपलब्ध करानी होगी ।
9. अग्नि/चोरी/दुर्घटना की जिम्मेदारी ताज महोत्सव समिति की नहीं होगी और ना ही महोत्सव समिति किसी प्रकार का मुआवजा देगी। झूलों के कारण किसी भी जोखिम/दुर्घटना लिए प्रस्तावक/झूला स्वामी स्वयं जिम्मेदार होगा एवं मुआवजा /क्षतिपूर्ति करेगा ।
10. झूला या अन्य सामान पर यदि मनोरंजन कर /व्यापार कर या कोई अन्य कर देय है, तो उसका भुगतान सम्बन्धित आवंटी को स्वयं देय होगा ।
11. झूले स्वयं की लाईट व्यवस्था पर लगाये जायेंगे एवं विद्युत सप्लाई की केबिल अर्थिंग के साथ अण्डरग्राउण्ड होगी तथा विद्युत सुरक्षा प्रमाण पत्र सक्षम स्तर पर प्राप्त कर मेला प्रारम्भ होने से पूर्व समिति को प्रस्तुत करना होगा।
12. विद्युत सुरक्षा की दृष्टि से प्रत्येक झूले पर अग्निशमन यंत्र स्थापित करना आवश्यक होगा तथा झूलों की विद्युत आपूर्ति का अलग से मुख्य वितरण बोर्ड पर मैनस्विच आदि स्थापित किये जायेंगे।

क्रमशः 3

13. प्रस्तावित राशि का 50 प्रतिशत आवंटन तिथि को तुरन्त बाद जमा करना होगा तथा शेष 50 प्रतिशत 18 मार्च, 2017 तक जमा करना होगा। धनराशि जमा न करने पर प्रस्ताव निरस्त कर दिया जायेगा एवं जमा धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी ।
14. किसी भी विवाद में ताज महोत्सव समिति का निर्णय अन्तिम एवं सर्वमान्य होगा।
15. फारच्यून व्हील/गेम ऑफ चान्स या जुआ वर्जित होगा एवं झूला में मौत का कुँआ/जीप/मोटर साइकिल/आग के खेल वर्जित हैं। झूला परिसर में किसी भी प्रकार की दुकान लगाना प्रतिबन्धित होगा।
16. वेबसाइट से डाउनलोड किये गये फार्म के साथ निविदा शुल्क का डिमाण्ड ड्राफ्ट ''सचिव, ताज महोत्सव समिति देय आगरा''के पक्ष में नत्थी किया जाना आवश्यक है। निविदा शुल्क के बिना जमा की गयी निविदाएं निरस्त कर दी जायेंगी।

उपरोक्त निर्धारित नियम एवं शर्तो के उल्लघंन की दशा में शास्ति/अर्थदण्ड का अधिरोपण महोत्सव समिति द्वारा किया जाएगा।

Note : If there is any dispute, the competent court will be Agra Jurisdiction.

सचिव
ताज महोत्सव समिति, आगरा।

मैं .... उपरोक्त वर्णित संख्या 1 से 16 तक की शर्तो /नियमों से सहमत हूँ तथा उक्त नियमों एवं शर्तो का पालन करने का बचन देता हूँ। मैं इस कार्य के बाबत् ताज महोत्सव समिति, आगरा को कुल रूपये .... (शब्दों में) .... अधिकतम एकमुश्त राशि देने को तैयार हूँ।

हस्ताक्षर झूला स्वामी

स्थान :

पता ....

दिनांक :

....

फोन नम्बर : ....